



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55096

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2639/2026

श्रीमती सीमाआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: संजय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 350/2018, धारा 376, 34 आई.पी.सी., थाना- बादलपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहती है:-
 - (i) आवेदक सूचनाकर्ता की देवरानी है।
 - (ii) आवेदक के ससुर ने अलीगढ़ में 22 बीघा कृषि भूमि और गौतम बुद्ध नगर में 1000 वर्ग गज का एक प्लॉट छोड़ा था, साथ ही बुलंदशहर में 5 बीघा भूमि थी जो आवेदक को अपने माता-पिता से विरासत में मिली थी। सूचनाकर्ता उक्त भूमि/संपत्तियों को हड़पना चाहती है।
 - (iii) आवेदक पर किए गए हमले के लिए, 29.05.2018 को मामला दर्ज करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है। उक्त परिवाद वाद के प्रति-आघात (काउंटर ब्लास्ट) के रूप में वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
 - (iv) सूचनाकर्ता ने दिनांक 08.07.2018 की एक काल्पनिक घटना के संबंध में 27.07.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में 19 दिनों की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
 - (v) सह-अभियुक्त, जिसके विरुद्ध वर्तमान मामले में पूर्व में दाखिल आरोप-पत्र में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उसने भी पीड़िता के विरुद्ध एक परिवाद दाखिल किया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(vi) इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त कन्हैया गिरी को दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 415/2019 में तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत प्रदान की है, जो आवेदक और सह-अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने का संकेत देते हैं।

(vii) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और उसने अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया है। सह-अभियुक्त कन्हैया गिरी को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी गई है और आवेदक इस न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग कर रही है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में 19 दिनों का विलंब है। आवेदक और पीड़िता के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर विवाद प्रतीत होता है। सह-अभियुक्त कन्हैया गिरी को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आवेदक को भी इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 30970/2018 में आदेश दिनांक 20.12.2018 के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया हो सकता है।
8. उपरोक्त के आलोक में, मैं आवेदक को विचारण के समापन तक अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
9. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
10. आवेदक- श्रीमती सीमा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/डराएगी नहीं;
11. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ए. पाण्डेय

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"